



2026:AHC:43777

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

WRIT - A No. - 2920 of 2026

Anil Kumar

.....Petitioner(s)

Versus

The State Of U.P. And 4 Others

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	:	Anand Ji Mishra, Kaushal Kumar Pandey
Counsel for Respondent(s)	:	C.S.C.

Court No. - 33

HON'BLE VIKAS BUDHWAR, J.

1. Heard Sri Anand Ji Mishra, learned counsel for the writ petitioner and Sri R.K. Srivastava, learned Additional Chief Standing Counsel for the State.

2. Sri R.K. Srivastava, learned Additional CSC has made a statement at bar that he is possessed with the instructions and he is in a position to argue the matter and he does not propose to file any affidavit, the writ petition be decided on the basis of the documents available on record. With the consent of the parties, the writ petition is being decided at the fresh stage.

3. The case of the writ petitioner is that he was appointed on the post of Constable (M) on 28.06.2001 and promoted as ASI (M) 08.05.2006 and further promoted as SI (M) on 10.01.2024. As per the writ petitioner while the writ petitioner was posted as ASI(M) in the year 2012, it is alleged that during his posting at Etah vide HOB No. 216 dated 20.05.2012, the salary of one Head Constable Itwari Lal Yadav has been wrongly determined by him as a result of excess payment of Rs. 5,37,893/-. Owing to the said allegation, a show cause notice came to be issued to the writ petitioner on 28.10.2025 by the Commandant, 43th Battalion PAC Etah to which the writ petitioner tendered its reply on 03.11.2025 which came to be served on 01.12.2025 and thereafter, the order impugned came to be passed on 16.01.2026 rejecting the claim of

the writ petitioner for imposition of penalty for recovery of an amount of Rs. 5,37,893/- in view of the provisions contained under Rule 14(2) of the Uttar Pradesh Police Officers of Subordinate Rank (Punishment and Appeal) Rules, 1991.

4. Questioning the said order, the present writ petition has been preferred.

5. Learned counsel for the writ petitioner has sought to argue that the order impugned cannot be sustained for the simple reason that once a show cause notice came to be issued which stood replied by the writ petitioner then the contention so raised in the reply to the show cause notice ought to have been considered and the said exercise is lacking though the recovery is a minor punishment in that regard.

6. Sri R.K. Srivastava, learned Additional CSC could not dispute the said legal position.

7. I have heard the submission so made across the bar and perused the record.

8. Apparently, owing to wrong fixation of pay scale, a show cause notice came to be issued on 28.10.2025 which reads as under.-

"-कारण बताओ नोटिस-

एस०आई०एम० अनिल कुमार

द्वारा:- पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएसी आगरा अनुभाग आगरा

जब आप वर्ष-2012 में प्रधान लिपिक शाखा 43वीं पीएसी एटा में नियुक्त थे तथा तत्समय आपके द्वारा चरित्र पंजिका प्रथम का कार्य देख रहे थे तथा आपके द्वारा जनपद मथुरा से दिनांक 31.05.2024 को सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 830520062 इतवारी लाल यादव का एचआवी नं.-216, दिनांक 20.05.2012 के द्वारा त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण किया गया। उक्त मुख्य आरक्षी का सेवाकाल के दौरान त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण होने के फलस्वरूप रुपया-5,37,893/- रुपए की वसूली उत्पन्न हुयी। जिसकी कटौती किये जाने के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका सं.-15235/2024 इतवारी लाल बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य दायर की गयी, जिसमें मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनोंक 26.09.2024 के क्रम में वसूल की गयी धनराशि रु-5,37,893/- वापस किये जाने का आदेश पारित किया गया। प्रकरण में अधिक वेतन भुगतान के लिए जिम्मेदारी तय करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मथुरा ने अपने पत्र संख्या ज

-275/2025, दिनांक 30.10.2025 के द्वारा प्रकरण इस वाहिनी से आच्छादित होने के फलस्वरूप प्रारम्भिक जाँच कराकर त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण करने वाले कर्मी /लिपिक से वसूली आदि की कार्यवाही का अनुरोध किया गया। जिसकी जाँच इस वाहिनी के सहायक सेनानायक श्री निशांक शर्मा द्वारा सम्पादित की गयी। जाँच कर्ता अधिकारी द्वारा अपनी जाँच आख्या दिनांक 24.10.2025 में उक्त कर्मी का त्रुटिवेतन निर्धारण करने का आपको दोषी अंकित किया गया है।

अतः आप इस कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें क्यों न उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधि०/ कर्मी की दण्ड एवं अपील नियमावली 1991 के नियम-14 (2) के सहपठित नियम 04 (1) बी (5) के अन्तर्गत धनराशि रुपया-5,37,893/- वसूली की जाये।

वर्ष-2025

जब आप वर्ष 2012 में प्रधान लिपिक शाखा 43वीं वाहिनी पीएसी एटा में नियुक्त थे तथा तदसमय आपके द्वारा चरित्र पंजिका प्रथम का कार्य देख रहे थे तब आपके द्वारा जनपद मथुरा से दिनांक 31.05.2024 को सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 630520062 इतवारी लाल यादव का एचआवी न.-216, दिनांक 20.05.2012 के द्वारा त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण किया गया। उक्त मुख्य आरक्षी का सेवाकाल के दौरान त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण होने के फलस्वरूप रुपया-5,37,893/- रुपए की वसूली उत्पन्न हुयी। जिसकी कटौती किये जाने के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका सं०-15235/2024 इतवारी लाल बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य दायर की गयी जिसमें मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 26.09.2024 के क्रम में वसूल की गयी धनराशि रु०-5,37,893/- वापस किये जाने का आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में अधिक वेतन भुगतान के लिए जिम्मेदारी तय करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मथुरा ने अपने पत्र संख्या ज-275/2025, दिनांक 30.10.2025 के द्वारा प्रकरण इस वाहिनी से आच्छादित होने के फलस्वरूप प्रारम्भिक जाँच कराकर त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण करने वाले कर्मी/लिपिक से वसूली आदि की कार्यवाही का अनुरोध किया गया। जिसकी जाँच इस वाहिनी के सहायक सेनानायक श्री निशांक शर्मा द्वारा सम्पादित की गयी। जाँच कर्ता अधिकारी द्वारा अपनी जाँच आख्या दिनांक 24.10.2025 में उक्त कर्मी का त्रुटिवेतन निर्धारण करने का आपको दोषी अंकित किया गया है।

यदि आपका लिखित स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में प्राप्त हो जाता है तो आपके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। यदि आपका स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि आपको आरोप सहर्ष स्वीकार है और आपके स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा किये बिना ही एकपक्षीय अन्तिम आदेश पारित कर दिया जायेगा। यदि आप इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करना चाहते हैं तो निर्धारित अवधि में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर कर सकते हैं। जिसके लिए आपको अलग से कोई अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जायेगा। प्रश्नगत प्रकरण में करायी गयी जाँच की छाया प्रति नोटिस के साथ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:जाँच की प्रति।

पत्र संख्या:द-18/2025

दिनांक: 28/10/2025

सेनानायक
43वीं वाहिनी पीएसी,
एटा।"

9. The writ petitioner tendered its reply on 03.11.2025 which came to be served upon the respondent on 01.12.2025 which reads as under.-

"सेवा में
सेनानायक,
43वीं वाहिनी पीएसी,
एटा।

विषय- कारण बताओ नोटिस संख्या: द-18/2025 दिनांक: 28.10.2025 के स्पष्टीकरण का प्रेषण।

द्वारा: उचित माध्यम

महोदय

निवेदन यह है कि प्रार्थी के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप के सम्बन्ध में उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(2) को सपठित नियम 04 (1) बी (5) के अन्तर्गत धनराशि रूपया-5,37,893/- की वसूली किये जाने विषयक कारण बताओ नोटिस दिनांक: 28.10.2025 को निर्गत किया गया है:-

वर्ष-2025

जब आप वर्ष 2012 में प्रधान लिपिक शाखा 43वीं वाहिनी पीएसी एटा में नियुक्त थे तथा तद्समय आपके द्वारा चरित्र पंजिका प्रथम का कार्य देख रहे थे तब आपके द्वारा जनपद मथुरा से दिनांक 31.05.2024 को सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 830520062 इतवारी लाल यादव का एचओबी न.-216, दिनांक 20.05.2012 के द्वारा त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण किया गया। उक्त मुख्य आरक्षी का सेवाकाल के दौरान त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण होने के फलस्वरूप रूपया-5,37,893/- की वसूली उत्पन्न हुयी, जिसकी कटौती किये जाने के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका सं०-15235/2024 इतवारी लाल बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य दायर की गयी, जिसमें मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 26.09.2024 के क्रम में वसूल की गयी धनराशि रु०-5,37,893/ वापस किये जाने का आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में अधिक वेतन भुगतान के लिए जिम्मेदारी तय करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मथुरा ने अपने पत्र संख्या ज-275/2025, दिनांक 30.10. 2025 के द्वारा प्रकरण इस वाहिनी से आच्छादित होने के फलस्वरूप प्रारम्भिक जाँच कराकर त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण करने वाले कर्मी /लिपिक से वसूली आदि की कार्यवाही का अनुरोध किया गया, जिसकी जाँच इस वाहिनी के सहायक सेनानायक श्री निशांक शर्मा द्वारा सम्पादित की गयी। जाँच कर्ता अधिकारी द्वारा अपनी जाँच आख्या दिनांक 24.10.2025

में उक्त कर्मों का त्रुटिवेतन निर्धारण करने का आपको दोषी अंकित किया गया है।

महोदय उपरोक्त सम्बन्ध में प्रार्थी निम्नलिखित अनुरोध करना चाहता है-

1- यह कि प्रार्थी द्वारा प्रारम्भिक जाँच के दौरान अपना विस्तृत अभिकथन अंकित कराया था, परन्तु विद्वान प्रारम्भिक जाँचकर्ता अधिकारी महोदय द्वारा प्रार्थी द्वारा अभिलिखित कराये गये बयानों पर विचार किये बिना ही एक पक्षीय निष्कर्ष प्रेषित कर प्रार्थी को दोषी पा लिया गया। प्रारम्भिक जाँच के दौरान अंकित कराये गये अभिकथनों के अतिरिक्त निम्न लिखित तथ्य महोदय के समक्ष विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत कर रहा है।

2- यह कि याची पूर्णतः निर्दोष है, याची पर किसी प्रकार का आरोप साबित नहीं है फिर भी गलत तरीके से उक्त आरोप संदर्शित कर पूर्णतः आधारहीन एवं विधिविरुद्ध तथा बिना किसी साक्ष्य के कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

3- यह कि उक्त मुख्य आरक्षी का वेतन श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मथुरा महोदय के आदेश संख्या सं. 190/2023 दिनांक 11.05.2024 द्वारा बिना विकल्प के दिनांक 01.08.2008 को रुपया 13500/- के स्थान पर रुपया 14430/- वेतन निर्धारित किये जाने के प्रतिफल में वेतन संशोधित किया गया है, जिसके आधार पर प्रारम्भिक जॉन्च सम्पादित की गयी, सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है।

4- यह कि मुख्य आरक्षी विशेष श्रेणी 830520062/48028 इतवारी लाल का रुपया -14430/- दिनांक 01-08-2008 को वेतन निर्धारण किये जाने सम्बन्धी आदेश का प्रकाशन 43वीं वाहिनी पीएसी, एटा की हिन्दी आदेश पुस्तिका संख्या-267 दिनांक-19-05-2011 पर किया गया है, जिसकी प्रविष्टि उक्त मु०आ० की चरित्र पंजिका के पृष्ठ सं० ११ पर की गयी है। दिनांक 19. 05.2011 को प्रार्थी जनपद फिरोजाबाद में नियुक्त था उक्त मुख्य आरक्षी की चरित्र पंजिका का पृष्ठ 11 (छायाप्रति संलग्न) अवलोकनीय है।

5- यह कि 43वीं वाहिनी पीएसी एटा की हिन्दी आदेश पुस्तिका सं०-216 दि 20-05-2012 पर वर्ष 2012 की वेतन समिति द्वारा है०का० 52 चतुर्थ श्रेणी-13 आरक्षी 61 व आरक्षी चालक 10 कुल-136 कर्मियों का वेतन निर्धारण किया गया है, जिसमें उक्त मुख्य आरक्षी विशेष श्रेणी को शासन गृह (पुलिस) विभाग के शासनादेश संख्या-रिट-2692/6-पु-2-2011-1600(5)/2011 दिनांक- 13-02-2012 के अनुक्रम में उक्त मुख्य आरक्षी विशेष श्रेणी के आरक्षी पद के प्रशिक्षण काल को सेवा काल में जोड़ने के उपरान्त 24 वर्ष पर द्वितीय पदोन्नती वेतन मान प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त कोई लाभ प्रदान नहीं किया गया है। उक्त मु०आ० को वेतन रू०-14430/- पूर्व से निर्धारित था। सुलभ संदर्भ हेतु संदर्भित शासनादेश की छायाप्रति संलग्न है।

6- यह कि जनपद मथुरा की वेतन समिति द्वारा बिना विकल्प के दि०-01-08-2008 को रुपया 13500/ के स्थान पर रुपया 14430/- त्रुटिपूर्ण निर्धारित वेतन को संशोधित कर पेन्शन स्वीकृत की गयी है, जिसके आधार पर प्रारम्भिक जाँच सम्पादित की गयी है, परन्तु विद्वान प्रारम्भिक जाँचकर्ता अधिकारी महोदय द्वारा प्रकरण में विषयान्तर जाँच करके 43वीं वाहिनी की हिन्दी आदेश पुस्तिका सं०-216 दि० 20.05.2012 पर निर्धारित वेतन त्रुटिपूर्ण मानकर प्रार्थी को दोषी पाया गया है, जबकि दि०-01-08-2008 को रुपया 13500 / के स्थान पर रुपया 14430/- 43 वीं वाहिनी को हिन्दी आदेश पुस्तिका सं-267 दिनांक 19-

05-2011 पर पूर्व में ही स्वीकृत किया गया है। इस आधार मात्र पर निर्गत कारण बताओ नोटिस निरस्त किये जाने योग्य है।

7- यह कि वित्त (वेतन आयोग अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या-बे० आ०-2-561/दस-62 (एम)/2008 दि०-04-05-2010 (छायाँप्रति संलग्न) के प्रस्तर 5(1) में निहित निर्देशों के अनुरूप वेतन निर्धारण हेतु स्क्रीनिंग कमेटी का गठन प्रत्येक वाहिनी में किया गया था, जिसमें स्पष्ट निर्देश थे कि नामित सदस्य द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन श्रेणी-ख के अधिकारी के ग्रेड वेतन से कम नहीं होगा। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष का ग्रेड वेतन कमेटी के सदस्यों द्वारा धारित पद के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा। सुलभ संदर्भ हेतु संदर्भित शासनादेश की छायाँप्रति संलग्न है।

8- यह कि प्रार्थी 43वीं वाहिनी पीएसी एटा की प्रधान लिपिक शाखा में नियुक्त लिपिकीय संवर्ग में सबसे कनिष्ठतम एसआई (एम) था इसी कारणवश प्रार्थी को कभी भी स्क्रीनिंग कमेटी (वेतन समिति में सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया। परन्तु विद्वान प्रारम्भिक जाँच कर्ता अधिकारी महोदय द्वारा वेतन समिति के सदस्यो यहाँ तक कि तत्कालीन प्रधान लिपिक महोदय का भी अभिकथन अंकित न कर मात्र कल्पना के आधार पर प्रार्थी को दोषी पा लिया गया जबकि उक्त मुख्य आरक्षी विशेष श्रेणी की चरित्र में वेतन निर्धारण का अंकन प्रार्थी के हस्तलेख में नहीं है और न ही प्रार्थी के सहायक के रूप में किसी कर्मी को नियुक्त किया गया था।

9- यह कि शासनादेश संख्या-वे० आ-2-773/दस-62 (एम) 2008 दिनांक-05-11-2014 के द्वारा पूर्व के समस्त शासनादेशों का अतिक्रमित कर शासनादेश में दिये गये निर्देशों/ व्यवस्था लागू की जाने की स्वीकृति प्राप्त की गयी है। उक्त शासनादेश में यह स्वीकार किया गया है सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन एसीपी की व्यवस्था के अन्तर्गत समय समय पर निर्गत किये गये कई शासनादेशों/स्पष्टीकरणों के बावजूद एसीपी का लाभ स्वीकृत कराने में कठिनाई बतायी जा रही है। संदर्भित शासनादेशों अनुपालन किये जाने हेतु दिनांक: 18.11.2024 को समस्त कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित किया गया है। यदि वर्ष 2014 अथवा उसके उपरान्त की वेतन समिति द्वारा वेतन संशोधित कर दिया जाता है तो प्रकरण में महोदय को कारण बताओ नोटिस निर्गत कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। परन्तु विद्वान प्रारम्भिक जांच कर्ता अधिकारी महोदय द्वारा 05-11-2014 के उपरान्त गठित वेतन समिति में नामित अधिकारी / कर्मचारियों का अभिकथन अंकित करना भी उचित नहीं समझा गया। जबकि दिनांक: 05.11.2014 से पूर्व छठवें वेतन आयोग से सम्बन्धित निर्गत समस्त शासनादेश अतिक्रमित कर दिये गये थे। इस आधार मात्र पर निर्गत कारण बताओ नोटिस निरस्त किये जाने योग्य है। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र दिनांक: 18.11.2014 एवं संदर्भित शासनादेश की छायाँप्रति संलग्न है।

10- यह कि पुलिस मुख्यालय की सम्प्रेक्षा टोली द्वारा प्रतिवर्ष वाहिनी के वेतन निर्धारण प्रकरणों की सम्प्रेक्षा की जाती है परन्तु आश्चर्य कि वर्ष 2012 से लगभग 12 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त उक्त कर्मी का वेतन गलत निर्धारण पाया गया। यदि विद्वान प्रारम्भिक जांच कर्ता अधिकारी महोदय द्वारा वर्ष 2013 के सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन का अवलोकन कर लिया होता तो महोदय को प्रार्थी के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस निर्गत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इस आधार मात्र पर निर्गत कारण बताओ नोटिस निरस्त किये जाने योग्य है।

11- यह कि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान की वसूली में आ रही कठिनाई के निवारण हेतु विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के भुगतान हेतु मा० न्यायालय के निर्णयों के

आलोक में समस्त कार्यालयाध्यक्षों के सम्बोधित वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-60/2016- वे० आ० -2-1375/दस-2016 दिनांक: 21.11.2016 में प्रस्तर-5 में निर्देशित किया गया था कि कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के आगणन की जाँच उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करायी जाये और त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/देयों के आगणन की जाँच में कदाशयता सिद्ध होने पर सम्बन्धित का उत्तर दायित्व निर्धारित किया जाय। त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/आगणन का लाभप्राप्त करने वाले कार्मिक से वसूली / समायोजन न हो पाने की दशा में अधिक भुगतान के उत्तरदायी कार्मिक से उक्त धनराशि की वसूली / समायोजन किया जायें। इसके अतिरिक्त प्रस्तर-07 (1) यह भी निर्देश निर्गत किये गये कि दिनांक: 21.11.2016 से इस शासनादेश के जारी होने की तिथि तक के ऐसे प्रकरण जिनमें प्रोन्नत वेतनमान / समयमान वेतनमान / ए०सी०पी० एवं अन्य लाभ प्राप्त होने पर वेतन निर्धारण किये गये हो, परन्तु सम्बन्धित कार्मिक से संलग्न प्रारूप पर सहमति पत्र/ अण्डरटेकिंग आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जाये। यदि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/आगणन के फलस्वरूप देयता से अधिक भुगतान हो गया हो तो सम्बन्धित कार्मिक के देयको से वसूली/समायोजन सुनिश्चित किया जायेगा, परन्तु विद्वान प्रारम्भिक जाँचकर्ता अधिकारी महोदय द्वारा उक्त शासनादेश का अनुपालन न करने के लिए कोन उत्तरदायी है, का चिन्हीकरण किये बिना ही एकपक्षीय जाँच सम्पादित कर प्रार्थी को दोषी पा लिया गया ऐसी त्रुटिपूर्ण जाँच आख्या कं आधार पर निर्गत कारण बताओ नोटिस निरस्त किये जाने योग्य है। (संदर्भित शासनादेश की छायाप्रति संलग्न है)

12- यह कि अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या- एफसी-सीए (वेतन निर्धारण)-2022 दिनांक-17-10-2022 के प्रस्तर (1) लघु समयावधि के प्रस्तर 3 व 2 में यह निर्देशित किया गया था कि ऐसे कर्मों जो 36 माह में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनके वेतन का पुनः परीक्षण में गठित कमेटी से करा लिया जाय एवं कमेटी द्वारा वेतन परीक्षण के दौरान यदि वसूली निकलती है तो कर्मचारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए सेवानिवृत्ति से पूर्व वसूली कर ली जायें। महोदय यदि उक्त संदर्भित पत्र में निहित निर्देशों के अनुरूप वाहिनी स्तर पर समयबद्ध कार्यवाही कर ली गयी होती तो कर्मचारी से समय से वसूली हो जाती और इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। परन्तु विद्वान प्रारम्भिक जाँचकर्ता अधिकारी महोदय द्वारा उक्त पत्र में वाहिनी स्तर पर समयान्तर्गत कार्यवाही क्यों नहीं की गयी के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य संकलन न कर प्रारम्भिक जाँच में एकपक्षीय निष्कर्ष प्रेषित कर प्रार्थी को दोषी पा लिया गया ऐसी त्रुटिपूर्ण जाँच आख्या के आधार पर निर्गत निर्गत कारण बताओ नोटिस निरस्त किये जाने योग्य है। सुलभ संदर्भ हेतु संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

13. यह कि प्रारम्भिक जाँच आख्या में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उक्त कर्मों का वेतन प्रार्थी द्वारा निर्धारण किया गया है अथवा प्रार्थी वेतन समिति का सदस्य था। उक्त कर्मों की चरित्र पंजिका में वेतन निर्धारण का अंकन प्रार्थी के हस्तलेख में नहीं है और न ही 43वीं वाहिनी पीएसी एटा में नियुक्ति के दौरान सहायक के रूप में कोई कर्मों लगाया गया था। यदि विद्वान प्रारम्भिक जाँच कर्ता अधिकारी महोदय द्वारा प्रार्थी के हस्तलेख का मिलान करा लिया जाता तो स्थिति स्पष्ट हो जाती और प्रार्थी निर्दोष सिद्ध होता। मात्र संभावना के आधार पर प्रार्थी को ऐसे कृत्य के लिए दोषी पा लेना जो उसके द्वारा किया ही नहीं गया है, प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विपरीत है। ऐसी साक्ष्य विहीन जाँच आख्या के आधार पर निर्गत कारण बताओ नोटिस निरस्त किये जाने योग्य है।

14- यह कि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान की वसूली में आ रही कठिनाई के निवारण हेतु विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के भुगतान हेतु मा० न्यायालय के निर्णयों के आलोक में समस्त कार्यालयाध्यक्षों के सम्बोधित वित्त विभाग के पत्र सं. -60/2016- वे० आ०-2-1375/दस-2016 दिनांक: 21.11.2016 में प्रस्तर-5 में निर्देशित किया गया था कि कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के आगणन की जाँच उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करायी जाये और त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/देयों के आगणन की जाँच में कदाशयता सिद्ध होने पर सम्बन्धित का उत्तर दायित्व निर्धारित किया जाय। त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/आगणन का लाभप्राप्त करने वाले कार्मिक से वसूली / समायोजन न हो पाने की दशा में अधिक भुगतान के उत्तरदायी कार्मिक से उक्त धनराशि की वसूली/समायोजन किया जायें। परन्तु विद्वान प्रारम्भिक जाँचकर्ता अधिकारी महोदय द्वारा शासनादेश संख्या-वे० आ-2-773/दस-62 (एम) 2008 दिनांक-05-11-2014 के द्वारा पूर्व के समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित किये जाने एवं शासनादेश दिनांकित: 21.11.2016 में वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के आगणन की जाँच उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कार्य जाने तथा अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-एफसी-सीए (वेतन निर्धारण)-2022 दिनांक- 17-10-2022 के प्रस्तर (1) लघु समयावधि के प्रस्तर 3 व 2 में ऐसे कर्मों जो 36 माह में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनके वेतन का पुनः निरीक्षण पुलिस मुख्यालय में गठित कमेटी से करा लिये जाने, कमेटी द्वारा वेतन परीक्षण के दौरान यदि वसूली निकलती है तो कर्मचारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए सेवानिवृत्ति से पूर्व वसूली कर लिये जाने के निरन्तर निर्देशों के उपरान्त भी दिनांक: 05.11.2014 से लगभग 10 वर्षों तक वेतन निर्धारण हेतु वाहिनी/जनपद स्तर पर गठित कमेटी द्वारा समयबद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गयी, के सम्बन्ध में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का अभिकथन अंकित करना भी उचित नहीं समझा गया। महोदय विगत 10 वर्षों में गठित वेतन समितियों द्वारा यदि समयबद्ध कार्यवाही कर ली गयी होती तो उक्त मुख्य आरक्षी के वेतन से समय से वसूली हो जाती और इस प्रकार की स्थिति ही उत्पन्न न होती परन्तु विद्वान प्रारम्भिक जाँचकर्ता अधिकारी महोदय द्वारा उक्त पत्र में वाहिनी स्तर पर समयान्तर्गत कार्यवाही क्यों नहीं की गयी के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य संकलन न कर प्रारम्भिक जाँच में एकपक्षीय निष्कर्ष प्रेषित कर प्रार्थी को दोषी पा लिया गया, ऐसी त्रुटिपूर्ण जाँच आख्या के आधार पर निर्गत कारण बताओ नोटिस पारित किये जाने योग्य है। सुलभ संदर्भ हेतु संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

15- यह कि अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या: पीएसी-209 (180) 2023 दिनांकित: 11.10.2023 के प्रस्तर 01 में मुख्यता अंकित किया गया है कि वेतन निर्धारण की समस्त प्रक्रिया राजपत्रित अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की जाती है तथा पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित सम्प्रेक्षण टीम द्वारा प्रतिवर्ष वाहिनियों की सम्प्रेक्षा की जाती है। इस दौरान कार्मिकों के सेवाभिलेखों का अवलोकन कर नियमानुसार वेतन निर्धारण का भी परीक्षण किया जाता है परीक्षणोपरान्त सम्प्रेक्षा टीम द्वारा जिन कार्मिकों का वेतन त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, उसी कार्मिक से वसूली की कार्यवाही की जाती है। परन्तु विद्वान प्रारम्भिक जाँच अधिकारी द्वारा वर्ष 2013 का सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन का अवलोकन ही नहीं किया गया यदि उक्त कर्मों का सम्प्रेक्षा टीम द्वारा गलत पाया जाता है तो निश्चित ही उसकी कटौती के आदेश निर्गत किये जाते।

तत्समय निर्गत शासनादेशों के क्रम में सम्प्रेक्षा टीम द्वारा उक्त कर्मों का वेतन सही पाया गया था। इस अतिरिक्त उक्त संदर्भित पत्र के प्रस्तर-03 में यह अंकित किया गया है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:

-60/2016- वे० आ०-2-1375/दस-2016 दिनांक: 21.11.2016 (जो कि समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन को सम्बोधित एवं अन्य के साथ समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश को पृष्ठांकित है) द्वारा विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के भुगतान के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है। इन आदेशों के क्रम में कार्यवाही न किये जाने से मा० न्यायालय में वाद/रिट याचिकायें दाखिल हो रही है। परन्तु विद्वान जाँचकर्ता अधिकारी महोदय द्वारा उक्त संदर्भित शासनादेश का अनुपालन किन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नहीं किया गया, जिससे इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई का चिन्हीकरण न कर त्रुटिपूर्ण एकपक्षीय जाँच सम्पादित कर प्रार्थी को दोषी पा लिया गया, ऐसी त्रुटिपूर्ण जाँच आख्या के आधार पर निर्गत कारण बताओ नोटिस निरस्त किये जाने योग्य है। सुलभसंदर्भ हेतु संदर्भित पत्र की छायाँप्रति संलग्न है।

15- यह कि प्रारम्भिक जांच आख्या में आरोप सिद्ध करने के लिये कोई साक्ष्य नहीं है। विभागीय कार्यवाही में भी किसी सरकारी सेवक/अपचारी सेवक को दण्डित करने के लिये साक्ष्य एवं प्रमाण की आवश्यकता होती है कल्पना/अनुमान/उपधारणा / अंदाज के आधार पर किसी सरकारी सेवक को दण्डित नहीं किया जा सकता। क्योंकि यह कार्यवाही भी एक विधिक अर्धन्यायिक कार्यवाही की श्रेणी में आती है। इसमें भी अपचारी सरकारी सेवक को दण्डित करने के लिये साक्ष्य, प्रमाण की आवश्यकता होती है तथा दण्ड की मात्रा तय करने के लिये कदाचार और कदाशय की गुरुत्वा (Gravity) पर ध्यान दिया जाता है। इस मामले में क्या ऐसा है कि 14 (2) की प्रक्रिया के तहत प्रार्थी के वेतन से वसूली किया जाना औचित्यपूर्ण हो। इस सम्बन्ध में निम्न विधि के सुस्थिर सिद्धान्त अनुकरणीय हैं।

1. The mind of the Enquiry officer and the disciplinary Authority should be applied with scrupulous regard to the material on the record and that it should be followed by a clear and definite findings. A weak and inconclusive finding cannot serve in law as the basis for taking action against the delinquent official. Gian Singh V/s State of U.P., 1974 (2) S.L.R. 226:

2. "The departmental proceedings are of quasi judicial nature. The minimum requirement is that the punishing authority shall arrive at its conclusion on the basis of some evidence. Evidential material alongwith some degree of definiteness points to the guilt of delinquent in respect of charge against him is necessary. Suspicion can 150 HP to take the place of proof in departmental inquiry. The principal You is punishing the quality unscrupulous care must be taken to see that inngeet should are not punished applies as well as to regular Trial as to disciplinary aqqi Mit Alder the statutory rules. Nand Kishore Vis State of Bihar (A.I.R. 1978 S.C. Page 1277 Milan High Court..

Where there was no evidence to support the charges, the penalty imposed washed. Prakash Chandra V/s State of U.P., 1981 (3) SLR 323.

उपरोक्त नजीरों में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रार्थी के वेतन से ऐसे कृत्य की वसीली किया जाना जो उसके द्वारा किया ही नहीं गया है नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निर्गत कारण बताओ नोटिस निरस्त किये जाने योग्य है।

16- यह कि प्रारम्भिक जांच अधिकारी महोदय द्वारा सभी तथ्यों का सम्यक परिशीलन न कर सरसरी तौर पर जांच सम्पादित कर प्रार्थी को येनकेन प्रकारेण तथ्य विहीन आधारहीन जाँच के आधार पर दोषी ठहराया गया है। ऐसी जाँच आख्या के आधार पर प्रार्थी के वेतन से वसूली का कारण बताओ नोटिस निर्गत किया जाना विधिसंगत नहीं है तथा ऐसा कारण बताओ नोटिस अपास्त किये जाने योग्य है।

17- यह कि श्रीमान् जी के संज्ञान में प्रार्थी निम्नलिखित तथ्य विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत कर रहा है, जिस पर विद्वान प्रारम्भिक जाँचकर्ता अधिकारी महोदय द्वारा कोई संज्ञान न लेकर एकपक्षीय निष्कर्ष प्रेषित किया गया है :-

1- यह कि उक्त कर्मी का बिना विकल्प के दिनांक 01-08-2008 को रुपया 13500/- के स्थान पर रुपया- 14430/- वेतन निर्धारित प्रार्थी की 43वीं वाहिनी पीएसी एटा में नियुक्ति के पूर्व दिनांक: 19.05.11 को निर्धारित किया गया है। प्रार्थी मात्र अल्प अवधि दिनांक: 26.12.2011 से 10.03.2013 तक 43वीं वाहिनी पीएसी एटा में नियुक्त रहा है।

2- यह कि शासनादेश संख्या-वे० आ-2-773/दस-62 (एम) 2008 दिनांक-05-11-2014 के द्वारा पूर्व के समस्त शासनादेशों का अतिक्रमित कर शासनादेश में दिये गये निर्देशो/व्यवस्था लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका क्रियान्वन वाहिनी स्तर पर किया जाना था जो तत्समय की वेतन समिति द्वारा नहीं किया गया, यदि उक्त शासनादेश के अनुक्रम में समय से वाहिनी स्तर पर कार्यवाही कर ली गयी होती तो उक्त कार्मिक से समय से वेतन वसूली पूर्ण हो चुकी होती और इस प्रकार की इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

3- शासनादेश संख्या:-60/2016- बे० आ०-2-1375/दस-2016 दिनांक: 21.11.2016 प्रस्तर-07 (1) में निर्देश निर्गत किये गये थे कि दिनांक: 21.11.2016 से इस शासनादेश के जारी होने की तिथि तक के ऐसे प्रकरण जिनमें प्रोन्नत वेतनमान / समयमान वेतनमान / ए०सी०पी० एवं अन्य लाभ प्राप्त होने पर वेतन निर्धारण किये गये हो, परन्तु सम्बन्धित कार्मिक से संलग्न प्रारूप पर सहमति पत्र/अण्डरटेकिंग आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जाये कि यदि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण / आगणन के फलस्वरूप देयता से अधिक भुगतान हो गया हो तो सम्बन्धित कार्मिक के देशकों से वसूली / समायोजन सुनिश्चित किया जायेगा। जो तत्समय की वेतन समिति द्वारा नहीं किया गया, यदि उक्त शासनादेश के अनुक्रम में समय से वाहिनी स्तर पर कार्यवाही कर ली गयी होगी तो उक्त कार्मिक से समय से वेतन वसूली पूर्ण हो चुकी होती और इस प्रकार की इस प्रकरण की स्थिति उत्पन्न न होती।

04- यह कि अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या- एफसी-सीए (वेतन निर्धारण)-2022 दिनांक- 17-10-2022 के प्रस्तर (1) लघु समयावधि के प्रस्तर 3 व 2 में ऐसे कर्मी जो 36 माह में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनके वेतन का पुनः परीक्षण पुलिस मुख्यालय में गठित कमेटी से करा लिये जाने, कमेटी द्वारा वेतन परीक्षण के दौरान यदि वसूली निकलती है तो कर्मचारी को सुनवाई

का अवसर प्रदान करते हुए सेवानिवृत्ति से पूर्व वसूली कर ली जाये। जो तत्समय की वेतन समिति द्वारा नहीं किया गया, जिसके कारण इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई।

18- यह कि प्रार्थी विगत 24 वर्षों से पुलिस विभाग में कार्यरत है अपीलार्थी सदैव ईमानदारी व निष्पक्षता से कार्य करते हुए अपने शासकीय दायित्व का निर्वहन किया है। अपीलार्थी का भविष्य उज्ज्वल है तथा प्रोन्नति का भी इच्छुक है आधारहीन व तुच्छ आधारों पर अपीलार्थी को दण्डित करने से अपीलार्थी के प्रोन्नति के दरवाजे अवरोद्ध होते हैं। प्रार्थी की सम्पूर्ण सेवाकाल में कभी-भी दण्डित नहीं किया गया है। उत्तराधिकारियों द्वारा प्रार्थी के कार्यों की हमेशा ही भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है। यदि महोदय द्वारा प्रार्थी को अकारण दण्डित किया जाता है तो प्रार्थी का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रार्थी के स्पष्टीकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर प्रार्थी के विरुद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस निरस्त करने की कृपा करें।

प्रार्थना

महोदय प्रार्थी के जनपद फिरोजाबाद में पूर्वाधिकारी भी रहे हैं एवं के न्याय प्रिय अधिकारी हैं। महोदय से आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है। महोदय प्रार्थी द्वारा स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यों पर संज्ञान लेकर प्रार्थी को न्याय प्रदान करेंगे। प्रार्थी उक्त निरीक्षक लिपिक स्तर का पी०ए०सी० विभाग का छोटा अधिकारी है इस मामले में प्रार्थी की कोई गलती, लापरवाही, अकर्मण्यता या किसी प्रकार के कदाशय की साक्ष्य नहीं है। फिर भी प्रार्थी श्रीमान् जी से दयाभाव का दृष्टिकोण अपनाने हेतु क्षमा करने का निवेदन कर रहा है। प्रार्थी के विरुद्ध दण्डित करने हेतु पर्याप्त आधार एवं साक्ष्य भी नहीं है। प्रार्थी दयाभाव की याचना कर रहा है। याची का आचरण इस तरह का नहीं था। अतः निर्दोष याची के प्रति दयाभाव का दृष्टिकोण रखते हुये इस मामले की कार्यवाही का पठाक्षेप करने की कृपा करें।

प्रार्थी

अनिल कुमार

पुलिस उप निरीक्षक लिपिक

कार्यालय पीएसी अनुभाग आगरा।"

10. Thereafter, now the order impugned came to be passed on 16.01.2026 by the Commandant, 43th Battalion, PAC, Etah which reads as under.-

"-आदेश-

एस०आई०एम० (लिपिक) अनिल कुमार को उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधि०/कर्म० की दण्ड एवं अपील नियमावली -1991 के नियम-14 (2) के सहपठित नियम 04 (1) बी (5) के अन्तर्गत धनराशि रु- 5,37,893/- वसूली संबंधी कारण बताओ नोटिस समसंख्यक पत्र दिनांक: 28.10.2025 को निर्गत किया गया था।

वर्ष-2025

जब आप वर्ष-2012 में प्रधान लिपिक शाखा 43वीं वाहिनी पीएसी एटा में नियुक्त थे तथा तद्समय आपके द्वारा चरित्र पंजिका प्रथम का कार्य देख रहे थे तब आपके द्वारा जनपद मथुरा से दिनांक 31.05.2024 को सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी 830520062; इतबारी लाल यादव का एचआबी न.-216, दिनांक 20.05.2012 के द्वारा त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण किया गया। उक्त मुख्य आरक्षी का सेवाकाल के दौरान त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण होने के फलस्वरूप रुपया-5,37,893/ रु की वसूली उत्पन्न हुयी। जिसकी कटौती किये जाने के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका सं०-15235/2024 इतवारी लाल बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य दायर की गयी जिसमें मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद, के आदेश दिनांक 26.09.2024 के क्रम में वसूली की गयी धनराशि रुपया -5,37,893/- वापस किये जाने का आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में अधिक वेतन भुगतान के लिए जिम्मेदारी तय करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मथुरा ने अपने पत्र संख्या ज-275/2024, दिनांक 30.10.2024 के द्वारा प्रकरण इस वाहिनी के आच्छादित होने के फलस्वरूप प्रारम्भिक जाँच कराकर त्रुटिपूर्ण पैतन निर्धारण करने वाले कर्मी/ लिपिक से वसूली आदि की कार्यवाही का अनुरोध किया गया। जिसकी जाँच इस वाहिनी के सहायक सेनानायक श्री निशांक शर्मा द्वारा सम्पादित की गयी। जाँच कर्ता अधिकारी द्वारा अपनी जाँच आख्या दिनांक 24.10.2025 में उक्त कर्मी का त्रुटिवेतन निर्धारण करने का आपको दोषी अंकित किया गया है।

आपको आदेशित/निर्देशित किया गया था कि इस नोटिस, प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे क्यों न आपसे उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधि०/कर्म० की दण्ड एवं अपील नियमावली -1991 के नियम-14 (2) के सहपठित नियम 04 (1) बी (5) के अन्तर्गत धनराशि रुपया -5,37,893/- अधिक भुगतान की धनराशि वसूली कर ली जाये। यदि आपका स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में प्राप्त हो जाता है तो आपके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा। यदि स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि आपको आरोप स्वीकार है और स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा किये बिना एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

इनके द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस को दिनांक 03.11.2025 को प्राप्त कर अपने बचाव में दिनांक: 26.11.2025 को जो इस कार्यालय में दिनांक 01.12.2025 को प्रोप्त हुआ है, स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया है। मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं लिखित स्पष्टीकरण का मनन/अध्ययन कर परिशीलन किया गया। प्रस्तुत स्पष्टीकरण में ऐसा कोई तथ्य/अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है, जिसके आधार पर उक्त प्रस्तावित दण्ड को विखण्डित कर सके। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है। स्पष्टीकरण में कोई बलहीन नहीं है, अर्थात् बलहीन है।

अतः एसआईएम (लिपिक) अनिल कुमार को जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में स्पष्ट रूप से दोषी अंकित किये जाने एवं स्पष्टीकरण असंतोषजनक तथा बलहीन होने के आधार पर उक्त आरोप में उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधि०/कर्म० की दण्ड एवं, अपील नियमावली 1991 के नियम-14 (2) के सहपठित नियम 04 (1) बी (5) के अन्तर्गत अधिक भुगतान रु०-5,37,893/- की वसूली किये जाने का आदेश पारित किया जाता है।

सेनानायक

43वीं वाहिनी पीएसी,
एटा।"

11. A bare look of the order impugned would reveal that none of the contentions so sought to be raised by the writ petitioner in reply to the show cause notice has been considered. Furthermore, the only stand taken by the writ petitioner for negating the claim is not satisfactory. Unfortunately, the said approach is not acceptable in the eyes of law. Accordingly, the order impugned cannot be sustained.

12. Resultantly, the order dated 16.01.2026 passed by Commandant 43th Battalion, PAC, District Etah, fourth respondent is set aside. Matter stands remitted back to the fourth respondent, Commandant 43th Battalion PAC, Etah to pass a fresh order within a period of two months.

13. With the aforesaid observations, the writ petition stands **disposed of**.

(Vikas Budhwar,J.)

February 25, 2026
Rajesh